ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-03-18	पक्षकार अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी बदलवा कर पत्रावली दिनांक 11-04-18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट	
11-04-18	प्रार्थिया एवं उपाली सं० 1 स्वयं उपस्थित। उपाली गण सं० 2 से 5 को पूर्व सही व वास्तविक पते से तलबाना PF/नोटिस भेजा जाने का एक अवसर कोर्ट चाहते है दिया जाता है पत्रावली आगामी दिनांक 26-04-2018 को पेश हो। Sd/- Sojat.	
26-04-18	राज्य सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार आयोजित न्याय आपके द्वार-2017 के तहत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ...रूपेलाव... के अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक ...24-05-18... को पेश हो। तदनुसार सम्मन/नोटिस जारी हो। उपखण्ड अधिकारी, सोजत	
24-05-18	पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व लोक अदालत कैम्प ...रूपेलाव... पर पेश हुई। मुकर्रर तारीख पेशी 30-05-2018 बमुकाम सोजत पर पेश हो। एस.डी.ओ., सोजत	
30-05-18	पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व लोक अदालत कैम्प ...रूपेलाव... राजा- सोजत पर पेश हुई। मुकर्रर तारीख पेशी 07-08-2018 बमुकाम सोजत पर पेश हो। एस.डी.ओ., सोजत	
07-08-18	पक्षकार अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी बदलवा कर पत्रावली दिनांक 26-09-18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट	
26-09-18	प्रार्थिया एवं उपाली सं० 1 उपस्थित। उपाली गण सं० 1 स्वयं उपस्थित 2 से 5 को जारी नोटिस व्यक्ति परिजन को इस आधार	

P.T.O.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. अहकाम हुक्म की तारीख जारी हुआ

कोतवाली रिपोर्ट लेख साथ कि उपपालीगण संख्या 1 से 5 के नोटिसों का पालन परिपालन को परिपत्र करके। इस बीच मृत व्यक्ति का कार्ड किये जाने की तामील रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट तामीली सहित प्रस्तुत किया गया। उपपालीगण संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से उपपालीगण जवाब पेश करने में विफल रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा जवाब बन्द किया गया। उपपालीगण सं० 2 से 5 का बावजूद तामीली सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पालिया एवं उपपाली सं० का सुना गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पालिया ने प्रार्थना पत्र बाबत परिपालन भारण पोषण अधिनियम का विरुद्ध उपपालीगण द्वारा आरोप का पेश किया है कि पालिया 80 वर्ष का वृद्ध, विधवा व परित्यक्ता महिला है, स्वयं कमाने का कोई साधन नहीं कर सकती है, पालिया के भाई भी नहीं हैं। पुत्रा सं० 2 से 5 नौकरी व्यवसाय का कार्य करते हैं व उपपाली सं० 2 से 5 पालिया का पुत्र है। उपपाली गण से पूर्व पालिया को पोषण देते थे। उपपाली गण से लिये है। पालिया को पोषण देने से मना कर दिया है। उपपालीगण ने पालिया को गाली गलौज करके मारने की धमकी देकर 403, 405, 411, 406 धारा के अन्तर्गत 399, 401, 403, 405, 411, 43, 25 व 258 को स्थित है। जो कि विपक्षगण कब्जे में लेकर पालिया का अधिकार उपपाली गण ने छीन लिया है व उक्त अवधि उपपाली से बेदखल कर दिया गया है। पालिया को रहने रखकर कब्जा प्राप्त कर लिया है। पालिया का उपपालीगण ने कोई खर्चा नहीं किया था। पिछले 5 वर्षों से उपपाली गण ने पालिया की देखरेख नहीं की है तथा न ही पालिया का भरण पोषण, चिकित्सा, इलाज आदि का ध्यान रखते हैं। पालिया का एक मात्र साधन था, जो कि उपपाली गण द्वारा छीन लिया गया है। पालिया को रहने रखने हेतु कोई जगह नहीं छोड़ी जिस कारण पालिया को बेघर होना पड़ा है। पालिया को भरण पोषण, इलाज, कपड़े, लत्ते व अन्य आदि की व्यवस्था उपपाली गण से दिलाई जाने हेतु माननीय न्यायालय से संगत है। इस कारण पालिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं०प्र०सं० एवं हस्तविज्ञानी पत्र पर पालिया का भरण पोषण, इलाज, कपड़े लत्ते तथा रहने आदि

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हेतु भरणपोषण की राशि अप्रार्थी गण से दिलवाये जाने की हेतुका की है। इस पर संज्ञान प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी जवाब प्राप्त पत्र दूर का किया गया। अप्रार्थी गण सं० 1 का जाकी नोटिस तामिली होकर स्वयं उपस्थित हुए, व जवाब दावा किया गया तथा इसमें अप्रार्थी गण सं० 1 का जाकी का सूचना हेतु परिपत्र व विपक्षी तामिली सम्मिलित की गई। बावजूद तामिली सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली का अध्ययनपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब दावा एवं लिखित बहस प्रार्थी का गठनता युक्त अध्ययन किया गया। प्रार्थिया व अप्रार्थी सं० 1 का पुत्र गण। वस्तुतः प्रार्थिया जीवनयापन की पात्र पाई है, जिसके अप्रार्थी संख्या 1 पुत्र है तथा अन्य पुत्र ओमप्रकाश की सन्तानें अवलोकन, गौरव, शंकर व पुनावास पोता है। फलस्वरूप प्रार्थिया चूंकि 64 वर्ष की जायज उम्र की अप्रार्थी गण सं० 1 की माता तथा इस कृत्य की दोषी है, के भरणपोषण हेतु प्रत्येक से 2000/- रुपये प्रतिमाह दिया जाने हेतु प्रत्येक से 2000/- रुपये प्रतिमाह दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

— आदेश —

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत भरणपोषण आवेदनपत्र बाबत वादिक आर्थिक का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 23 का स्वीकार पाया है, लिहाजा स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया इजाफे के भरणपोषण, आवास, इलाज आदि की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने हेतु अप्रार्थी गण संख्या 1 तथा इसमें से 2000/- रुपये प्रत्येक से 2000/- रुपये प्रतिमाह दिये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। अप्रार्थी गण सं० 1 तथा इसमें से प्रत्येक प्रार्थिया को पहले एक साथ तामिल सम्मन, साथ में बाद सत्यापित प्रत्येक 2000/- रुपये प्राप्ति व दर्ज न्यायालय होना में आगत तामिल सम्मन, साथ में बाद सत्यापित व्यवहार प्रेषण करने जाकर पालना प्रतिमाह भरणपोषण किये की प्राप्ति होने जाकर बाद सत्यापित न्यायालय राशि पूर्वत व्यवहार जावक हेतु तहरीर जारी कर लिखा होना में प्रस्तुत करने हेतु तहरीर होना अवकाश से जावें। पत्रावली अमल होना दाखिल दफ्तर। व्यवहार होने बाद तत्काल जावक दाखिल दफ्तर जाना हो।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड (जिला-पाली) सोजत

निर्णय आज दिनांक 26-09-2017 को सार्वजनिक इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner